न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 128/2015
पंजीयन दिनांक 30.07.2015

(1). माधुलाल पिता खुमा जाट निवासी सेमलिया तहसील गंगरार
मृतक के बजाय-
1/1. रामेश्वरलाल पिता माधुलाल जाति जाट निवासी सेमलिया जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
1/2. केलाशचन्द पिता माधुलाल जाति जाट निवासी सेमलिया जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
1/3. गुलाबचन्द पिता माधुलाल जाति जाट निवासी सेमलिया जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
1/4. नारायण पुत्री माधुलाल जाति जाट निवासी सेमलिया जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
1/5. चांदी बेवा माधुलाल जाति जाट निवासी सेमलिया जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). ऐजीबाई पुत्री खुमा पत्नी भैरूलाल जाति जाट निवासी सेमलिया हाल मुकाम दडबा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). सोहनीबाई पुत्री खुमा पत्नी मूलचन्द जाति जाट निवासी सेमलिया हाल मुकाम रोलाहेड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). मोहनलाल गोदपुत्र प्यारा जाति जाट निवासी सेमलिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). धापु पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी काला का खेड़ा(शम्भूपुरा) तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). मोहनलाल पिता प्रताप कथित गोदपुत्र प्यारा जाति जाट निवासी दडबा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार गंगरार, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार
प्रकरण संख्या 55/2012 प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2015

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थित वक्त बहस-(1). चम्पालाल जाट-अधिवक्ता अपीलांटगण

(2). दिनेशचन्द्र दायमा-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 1

(3). रेस्पोडेन्ट संख्या 2- अनुपस्थित

(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 23.08.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 89, 188 एवं 209 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांटगण अविभाजित हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादिया रेस्पोडेन्ट सख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांटगण के परिवार के मूल पुरुष मोड़ा के दो पुत्र प्रताप व खुमा थे। प्रताप का एकमात्र पुत्र प्यारा जन्म से खूमा के परिवार मे शामिल रहते हुए अविवाहित ही फोत हो गया। इस प्रकार खूमा ही मोडा की समस्त जायदाद का मालिक रहा। वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांटगण को खातेदार खूमा की मृत्यु सन् 1968 मे हो जाने पर विरासतीय हक से उसकी खातेदारी की सम्पूर्ण कृषि आराजीयात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा-8 की प्रथम अनुसूची के सदस्य होने से वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांटगण प्रत्येक के बराबर-बराबर हक हिस्से अनुसार दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु तत्कालीन ग्राम पंचायत राणावतों की चोगावटी ने पटवारी की रिपोर्ट के कॉलम संख्या 16 को नजर अंदाज करते हुए अकेले प्रतिवादी सख्या 1 अपीलांट के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जो निरन्तर साबिक जमाबंदी मे दर्ज रेकॉर्ड रहा है। तन्हा खातेदार खूमा द्वारा विरासतीय हक से छोड़ी गई कृषि आराजी मौजा सेमलिया की जमाबंदी सम्वत 2024 से 2027 तक के खाता संख्या 79 मे वर्णित आराजी संख्या 561, 569, 591, 595, 597, 598, 599, 699, 777, 567 कुल किता 10 कुल रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा जो मूल खातेदार वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता खुमा के नाम दर्ज रेकॉर्ड रही है। तन्हा खातेदार खुमाजी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात नवीन भू-प्रबन्ध के पश्चात की जमाबंदी सम्वत 2064-2067 तक के खाता संख्या 174 मे वर्णित आराजी संख्या 751, 754, 757, 769, 770, 788, 789, 790, 792, 896, 897, 902, 993 कुल किता 13 कुल रकबा 4.22 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है। तथा स्वर्गीय खुमा पिता मोडा एवं स्वर्गीय प्यारा पिता

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

व प्रत्येक के 1/2, 1/2 हक हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी मे दर्ज साबिक जमाबंदी सम्वत 2024 से सम्वत 2027 तक की जमांबदी के अनुसार खाता संख्या 12 मे दर्ज आराजी सख्या 272, 397, 399, 516, 571, 572 जो पैमाईश के दौरान परिवर्तित की जाकर जमाबंदी सम्वत 2064-2067 के अनुसार खाता संख्या 173 मे वर्णित आराजी सख्या 519, 520, 530, 532, 658, 659, 769, 766, 791 कुल किता 9 कुल रकबा 3.74 हैक्टेयर दर्ज रेकॉर्ड होकर प्रतिवादी संख्या 1 एवं 4 प्रत्येक के 1/2, 1/2 हिस्से अुनसार संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कर दी है जिसमे खुमा के चारों के वारिसान वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांट्गण प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित होने से वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने निहित हिस्से अनुसार खातेदारी की घोषणात्मक डिक्री से उक्त वर्णित आराजीयात को सह खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड कराने की अधिकारी है, इसलिए घोषणात्मक वादपत्र पेश है। प्रतिवादी संख्या 4 प्यारा का गोदपुत्र नहीं होने, व किसी प्रकार की गोद की रस्म आदि सम्पन्न नहीं होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 4 का नाम गलत रूप से राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किया है इसलिए उक्त वर्णित खाता संख्या 173 मे दर्ज आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 4 का नाम विलोपित किया जाकर उक्त आराजीयात वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांट्गण की संयुक्त खातेदारी मे बराबर-बराबर हिस्से अनुसार दर्ज किये जाने की इन्द्राज दुरूस्ती के लिए यह वादपत्र प्रस्तुत है। मौजा सेमलिया की जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 के अनुसार खाता संख्या 174 के दर्ज आराजी संख्या 751, 754, 757, 769, 770, 788, 789, 790, 792, 896, 897, 902, 993 कुल किता 13 कुल रकबा 4.22 हैक्टेयर आराजीयात मे वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांट्गण प्रत्येक के 1/4, 1/4 हक हिस्से अनुसार खातेदारी मे दर्ज किये जाने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती का वादपत्र पेश है। खाता संख्या 173 व 174 मे दर्ज उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांट्गण प्रत्येक के 1/4 , 1/4 हिस्से अनुसार किया जाकर मौके पर पृथक-पृथक कब्जा सुपुर्द कराते हुए किया जावे इसलिए घोषणा, दुरूस्ती के साथ-साथ बंटवाड़े का वादपत्र पेश है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया । सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांट्गण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। दिनांक 18.06.2015 को पत्रावली लोक अदालत मे रखी जाकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित आराजीयात को वादिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

डेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांट्गण की पैतृक सम्पत्ति होना मानकर मौजा सेमलिया की जमाबंदी सम्वत 2064-2067 तक के खाता संख्या 174 मे दर्ज आराजीयात वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांट्गण प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक हिस्सा खातेदारी मे दर्ज की जाकर एवं मौजा सेमलिया की जमाबंदी सम्वत 2064-2067 तक के खाता संख्या 173 मे वर्णित वर्णित आराजीयात मे से प्रतिवादी संख्या 4 का नाम विलोपित किया जाकर वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांट्गण प्रत्येक के 1/4, 1/4 हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी मे दर्ज की जाकर उक्त वर्णित दोनो खातो की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट सख्या 4 द्वारा स्वयं को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015 से प्रभावित होना बताकर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट संख्या 4 को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमती प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

न्यायहित मे प्रार्थी/ अपीलांट संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट संख्या 4 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित होना मानकर अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट्गण ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादिया का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांट्गण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाबदावे मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांट्गण द्वारा वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक को अस्वीकार किया। दिनांक 21.05.2015 को पत्रावली प्रतिवादी संख्या 4 की तलबी देखने हेतु नियत थी। प्रतिवादी संख्या 4 की तलबी प्राप्त होने के संबंध मे किसी प्रकार का आदेश अधीनस्थ विद्वान विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय की आदेशिका मे उल्लेखित नहीं है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली मे बिना तनकीयात कायम किये व बिना साक्ष्य लिए पत्रावली लोक अदालत मे रखी जाकर उभय पक्षकारान की बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादपत्र स्वीकार किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अपीलांट संख्या 4 मोहन जो कि प्यारा का गोदपुत्र है व सेमलिया का निवासी है एवं उसका नाम खातेदारी मे स्पष्ट रूप से अंकित है। अपीलांट संख्या 4 ग्राम सेमलिया का स्थायी निवासी है। अपीलांट संख्या 4 का राशन कार्ड , मतदाता सूची मे नाम, ड्राइविंग लाइसेन्स व ट्रेक्टर भी इसी नाम से है। फिर भी वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट संख्या 4 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पक्षकार कायम नहीं किया गया जबकि अपीलांट संख्या 4 ही प्यारा की आराजीयात पर पुत्र की हैसियत से काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलांट संख्या 4 को उसके हक से महरूम करने की नीयत से एवं न्यायालय को भ्रम मे डालने की नीयत से प्रतिवादी सख्यां 4 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जो दबड़ा का निवासी है, को पक्षकार बनाया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट संख्या 4 को सुने बिना ही अपीलांट संख्या 4 का नाम खातेदारी से विलोपित किये जाने का निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 4 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मोहन निवासी दडबा को कोई संबंध नहीं है। प्यारा जो प्रताप का पुत्र था एवं प्यारा का गोदपुत्र अपीलांट संख्या 4 मोहन है। वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मोहन को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे गलत रूप से पक्षकार कायम किया है। वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का अपीलांट्गण के परिवार से कोई संबंध नही है, सक्षम सिविल न्यायालय ही वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्यारा की पुत्री होने के संबंध मे निर्णय दे सकता है फिर भी यदि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 झूठे साक्ष्यों द्वारा खूमा की पुत्री होना प्रमाणित कर दे तब भी खुमा की पैतृक आराजीयात मे खुमा की सन 2005 से पूर्व मृत्यु हो जाने से खुमा की मृत्यु पूर्व ही अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का जन्म से 1/2 हक निहित है एवं खुमा की मृत्यु के बाद खुमा की शेष कृषि आराजी के अपीलांट्गण संख्या 1 से 3 बराबर-बराबर हिस्से के संभावित हकदार बनते है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया अपीलांट्गण संख्या 1 से 3 के बराबर हिस्से की संभावित हकदार बनती है इस प्रकार वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खुमाजी की कृषि आराजी मे 1/8 हिस्से की संभावित हकदार बनती है, परन्तु प्यारा की सम्पत्ति मे उसका कोई हक अधिकार नहीं होकर एकमात्र अपीलांट संख्या 4 मोहन का ही अधिकार है। वादपत्र के पैरा संख्या 11 मे वाद कारण अंकित नहीं है व दिनांक अंकित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...त्र के पैरा संख्या 12 मे वादग्रस्त आराजीयात व पक्षकारान तहसील भदेसर के ...न अंकित है जबकि वादग्रस्त आराजीयात गंगरार की है। एवं प्रतिवादी संख्या 4 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को दडबा का निवासी बताया जो खातेदार नहीं होने से प्रोपर पक्षकार नहीं होने के कारण उक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किये जाने योग्य होने के बावजूद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी अस्वीकार किया है जो न्यायोचित नहीं है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली मे तनकीयात कायम नहीं की जाकर उभय पक्षकारान की साक्ष्य लिये बिना ही लोक अदालत के तहत उभय पक्षकारान की सहमति के बिना व बिना लिखित राजीनामे के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांटगण स्वीकर की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया । सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांटगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। दिनांक 18.06.2015 को पत्रावली लोक अदालत मे रखी जाकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात को वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांटगण की पैतृक सम्पत्ति होना दस्तावेजी साक्ष्यो से साबित होने से मौजा सेमलिया की जमाबंदी सम्वत 2064-2067 तक के खाता संख्या 174 मे दर्ज आराजीयात मे वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांटगण प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक हिस्सा खातेदारी मे दर्ज की जाकर एवं मौजा सेमलिया की जमाबंदी सम्वत 2064-2067 तक के खाता संख्या 173 मे वर्णित वर्णित आराजीयात मे से प्रतिवादी संख्या 4 का नाम विलोपित किया जाकर वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांटगण प्रत्येक के 1/4, 1/4 हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी मे दर्ज की जाकर, उक्त वर्णित दोनो खातो की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है । इस प्रकार वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांटगण अस्वीकार की जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

स्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट्गण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया ने अपीलांट्गण के विरूद्ध पैतृक कृषि आराजीयात की घोषणा व बंटवाड़े का वादपत्र प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जवाबदावा व अपीलांट संख्या 4 की तामील मे विचाराधीन था। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.04.2015 को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये जाने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 की दिनांक 18.06.2015 तक कोई तामील नहीं हुई व उक्त प्रकरण को दिनांक 18.06.2015 को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 की बिना तामील कराये लोक अदालत मे नियत किया जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया है, जो लोक अदालत की मंशा के विपरीत होने से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्गण प्रतिवादीगण का जवाबदावा लिया जाकर उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार तनकीयात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए, तनकीवार, अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 21.09.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)